

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री रूपसिंह
किस्म मुकदमा - 128 भू.रा.अधि.

विपक्षी :- कुलभुषणसिंह
पत्रावली संख्या : 34 / 18

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक 12.10.2020</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 1, 2 द्वारा पत्थरगढी किया जाने पर कोई एतराज जाहिर नहीं किया। विपक्षी सं. 10 अनुपस्थित रहे हैं। विपक्षी सं. 12 द्वारा पक्षकारों की मौजूदगी में पत्थरगढी किया जाने पर सहमति जाहिर की।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित है। विपक्षी सं. 1, 2 व 12 द्वारा पत्थरगढी पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। शेष विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी भी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया जिससे भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :—</p> <p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा धर्मता पटवार हल्का बोयणा की आराजी नम्बर 524 किता 1 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि के पश्चिम एवं उत्तर दिशा की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/- पांच सौ रूपया कमिश्नर शूलक पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान एवं पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगें।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(रमेश सीरवी पुनाड़िया) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>	

